राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)DTA/IFMS / 10716 – 10915 दिनांक 10/11/2014

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– पे–मैनेजर पर बिल तैयार करते समय बजट मद एवं बैंक विवरण को चैक करने के संबंध में।

महोदय,

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 80(vi) के अनुसार बिल तैयार करते समय बिल पर पूर्ण लेखा वर्गीकरण अर्थात मुख्य शीर्ष, लघुशीर्ष उपशीर्ष तथा विस्तृत शीर्ष, दत्तमत या चार्ज्ड, प्लान या नान प्लान या केन्द्र प्रवर्तित योजना लिखा जाना आवश्यक है। वर्तमान में आई.एफ.एम.एस. के तहत सभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार के बिल पे–मैनेजर पर तैयार कर ऑनलाईन कोषालय/उपकोषालय को प्रेषित किए जाते हैं। पे–मैनेजर पर तैयार किए जाने वाले सभी प्रकार के बिलों पर संबंधित बिल के अनुसार ही पूर्ण बजट मद स्वतः प्रदर्शित होता है, लेकिन कई बार आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा पे–मैनेजर पर बिल तैयार करते समय निम्न त्रुटियाँ कर दी जाती है :–

(1) गलत बिल प्रकार (Bill Type) का चयन
(2) प्लान के स्थान पर नॉन प्लान में अथवा इसके विपरीत बिल तैयार करना।
(3) कार्मिक की गलत कैटेगरी (AIS) का चयन कर बिल तैयार करना।
(4) गलत BT का चयन करना
(5) कर्मचारियों की संवेतन से की जाने वाली कटौतियों में गलत पे–आई.डी. का चयन करना।
(6) गलत बजट हैड का चयन करना

उपरोक्त त्रुटियों के कारण बिल का बजट मद गलत हो जाता है अथवा बिल में से की जाने वाली कटौतियां गलत बजट मद में बुक हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय/उपकोषालय को अनुरोध किया जाता है जबकि इस प्रकार की त्रुटियों का आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने बजट नियन्त्रण अधिकारियों के माध्यम से नियमानुसार महालेखाकार कार्यालय से इस हेतु ट्रांसफर एन्ट्री (टी.ई.) प्रस्तुत कर व स्वीकृत करवाकर ही संशोधन करवाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में लगने वाले संभावित समय के कारण कतिपय प्रकरणों में बजट का समय पर सदुपयोग भी नहीं हो पाता है।

इसी प्रकार इस विभाग के परिपत्र दिनांक 03.08.2012 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार "समस्त आहरण वितरण अधिकारी राजकीय भुगतानों के बिल एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से प्रेषित करते समय यह सुनिश्चित करेगें कि उसमें दिऐ गए बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण सही अंकित किया गया है तथा यह खाता बिल में अंकित व प्रमाणित भुगतान प्राप्त कर्ता से ही सम्बद्ध है। इस आशय का प्रमाण–पत्र भौतिक रूप से प्रस्तुत बिल में भी अंकित किया जायेगा। गलत बैंक खाता संख्या अंकित करने के कारण हुए भुगतान का समस्त दायित्व आहरण वितरण अधिकारी को होगा"। "राजस्थान कोषागार नियम 2012 के नियम 61(2)के अन्तर्गत दी गई चैक लिस्ट के बिन्दू संख्या (A)(10) के अनुसार

डीडीओं बिल पर यह प्रमाण पत्र अंकित करेगा कि ''भुगतान प्राप्तकर्ता का बैंक विवरण सही है'' तथा नियम 144(8) के अनुसार ''बिल में सही बैंक विवरण दर्ज किये जाने का दायित्व डीडीओ का है तथा गलत बैंक विवरण दर्ज करने के कारण हुए भुगतान के लिए डीडीओ जिम्मेदार होगा''। लेकिन कई बार आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा राशि गलत बैंक खातें में जमा होने से कोषाधिकारियों को अवगत करवाते हुए इसे सही बैंक खातें में जमा करवाने का अनुरोध किया जाता है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा राशि को सही बैंक खातें में जमा करवाने के लिए कोषाधिकारियों को किए जाने वाले लिखित अनुरोध में गलत बैंक खातें का विवरण एवं सही बैंक खातें का विवरण अंकित किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आहरण वितरण अधिकारियों के पास सही बैंक खाता विवरण उपलब्ध होने के बावजूद भी बिल बनाते समय गलत बैंक विवरण दर्ज कर दिया जाता है जो वित्त विभाग के निर्देश दिनांक 03.08.2012 की अवहेलना है तथा इससे गबन होने की संभावना भी रहती है जिसके लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी ही उत्तरदायी है।

अतः अपने अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करें कि पे–मैनेजर पर बिल बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि –

(1) बिल सही बजट मद में ही बनाया जा रहा है तथा बिल की कटौतियां (Pay id/BT) भी सही बजट मद में ही की जावें।

(2) बिल में उल्लेखित संबंधित कार्मिकों, तृतीय पक्षकार अथवा एजेन्सी का बैंक खाता विवरण सही–सही दर्ज किया गया है। इस हेतु प्रथम बार भुगतान किए जाने की स्थिति में संबंधित कार्मिक/तृतीय पक्षकार के बैंक खाता विवरण दर्ज करने हेतु बैंक खातें की पासबुक/चैक बुक की फोटो प्रति प्राप्त कर उससे मिलान किया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी फोटो प्रति कार्यालय में संधारित करना सुनिश्चित करें।

(3) इस संबंध में आहरण वितरण अधिकारियों को पे मैनेजर पर उपलब्ध उनके द्वारा भुगतान किये जा रहे बैंक खातों व बैंक खाताधारकों के नाम उपलब्ध करवाये जा रहे हैं उनका सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

(सिद्धार्थ महाजन)
विशिष्ट शासन सचिव
वित्त (बजट)

10916–956
10/11/2014

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कोषाधिकारी, समस्त
2. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) वित्त विभाग को इसे वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव